प्रेषक,

अनिल कुमार–**XI, UPID**–1819
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद–संत कबीर नगर।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद–संत कबीर नगर।

विषयः–जनपद कानपुर नगर से जनपद संत कबीर नगर मध्य सत्र में किये गये स्थानांतरण के संबंध में–

आदरणीय महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि–

1. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या –549/Admin (Services)/ 2023 Dated: April 27, 2023 के द्वारा प्रार्थी का स्थानांतरण वार्षिक स्थानांतरण सूची में लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा के पद पर हुआ था।
2. प्रार्थी का पुत्र आदित्य कुमार सिंह सेन्ट मैरीज एकेडमी सहारनपुर में शैक्षणिक सत्र 2022–2023 में कक्षा9 का छात्र था तथा शैक्षणिक सत्र 2023–2024 में वह कक्षा 10(हाईस्कूल) का छात्र है, जिसकी सी०बी०एस०ई० बोर्ड की परीक्षा मार्च 2024 में होनी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के तहत पूर्व में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थानान्तरण स्थगित किये जाते रहे थे किन्तु प्रार्थी का स्टे प्रार्थना–पत्र निरस्त करते हुए जनपद बांदा में स्थानान्तरित किया गया था।
3. प्रार्थी की माँ श्रीमती सूरज मुखी लगभग 84 वर्षीय वृद्ध विधवा है तथा हृदय , अस्थमा आदि विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है जिनका इलाज आगरा में चल रहा है। प्रार्थी को अपनी माँ की देखभाल आदि के संबंध में समय–समय पर आगरा जाना पड़ता है।
4. प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अपना प्रत्यावेदन दिनांकित 04.05.2023 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय बांदा के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रेषित किया गया था तथा प्रार्थना की गयी थी कि यदि संभव हो सके तो प्रार्थी के पुत्र की हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुनः जनपद सहारनपुर अथवा आगरा के आस –पास किसी भी जनपद में प्रार्थी का स्थानान्तरण करने की कृपा करें जिससे प्रार्थी अपने न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ–साथ अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए अपने पुत्र की हाईस्कूल बोर्ड की परीक्षा नियमानुसार करा सके तथा अपनी माँ की सेवा आदि दायित्वों का भी सम्यक निर्वहन कर सके।
5. प्रार्थी के उक्त प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विज्ञप्ति संख्या–1617/Admin (Services)/2023 Dated: May 22, 2023 के द्वारा प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद बांदा से जनपद कानपुर नगर में किया गया तथा प्रार्थी ने दिनांक 24.05.2023 को अपराह्न में जनपद कानपुर में लघुवाद न्यायाधीश के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था।

23/11/2023

6. जनपद कानपुर नगर में स्थानान्तरण होने के पश्चात प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र आदित्य कुमार सिंह का कक्षा–10(हाईस्कूल) में प्रवेश एलेन हाऊस पब्लिक स्कूल कानपुर नगर में कराया गया है तथा प्रार्थी का पुत्र उक्त विद्यालय में कक्षा 10-A का छात्र है, जिसकी मार्च/अप्रैल 2024 में हाईस्कूल सी०बी०एस०ई० बोर्ड की परीक्षा होनी है। प्रार्थी की अत्यधिक वृद्ध बीमार माँ का इलाज भी आगरा से होता है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यावेदन जनपद कानपुर नगर से स्थानान्तरित कराये जाने हेतु प्रेषित नही किया गया है।

7. प्रार्थी को अभी जनपद कानपुर नगर में मात्र 5 माह ही हुए थे किन्तु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या –2229/ Admin (Services)/2023 Dated: November 18, 2023 के द्वारा प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद कानपुर नगर से जनपद संत कबीर नगर में मध्य सत्र में ही कर दिया गया है, जिसके अनुपालन में प्रार्थी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर का पद–भार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के पुत्र की हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा व प्रार्थी की वृद्ध माँ के इलाज को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का मध्य सत्र में (मात्र पांच माह के कार्यकाल पश्चात ही) जनपद कानपुर नगर से जनपद संत कबीर नगर किये गये स्थानान्तरण के पश्चात प्रार्थी के पुत्र की हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा व प्रार्थी की वृद्ध विधवा माँ के इलाज को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का पुनः जनपद कानपुर नगर अथवा आगरा के आस–पास किसी भी जनपद में प्रार्थी का स्थानान्तरण करने की कृपा करे, जिससे प्रार्थी अपने न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ–साथ अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए अपने पुत्र की हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा नियमानुसार करा सके तथा अपनी माँ की सेवा आदि दायित्वों का भी सम्यक निर्वहन कर सकें। प्रार्थी माननीय महोदय का सदैव अभारी रहेगा।

ससम्मान।

दिनांक 23.11.2022

भवदीय,

23/11/2023

(अनिल कुमार–XI)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

संत कबीर नगर।

संलग्नक–

1. प्रार्थी के प्रत्यावेदन दिनांकित 04.05.2023 की प्रति जिसके क्रम में प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद बांदा से जनपद कानपुर नगर किया गया था।

2. प्रार्थी के पुत्र का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र।

3. प्रार्थी की मां के चिकित्सा संबंधी प्रपत्र।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर।

पत्रांकः 2024/I /संत कबीर नगर, दिनांकित– 25.11.2023

श्रीमान् महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश

संत कबीर नगर।

प्रेषक,

अनिल कुमार-XI,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदा।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा— श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
बांदा।

विषय— **जनपद बांदा से स्थानांतरित किए जाने के सम्बन्ध में।**

आदरणीय महोदय,

ससम्मान् विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के Notification No. 549/ Admin.(Services)/2023 dated: Allahabad: April 27, 2023 के द्वारा प्रार्थी का स्थानांतरण लघुवाद न्यायाधीश, सहारनपुर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के पद पर हो गया है तथा प्रार्थी ने दिनांक 01.05.2023 को पूर्वान्ह में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा का पदभार ग्रहण कर लिया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के पद पर रहते हुए वार्षिक स्थानांतरण नीति हेतु प्रेषित प्रत्यावेदन में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि प्रार्थी का पुत्र आदित्य कुमार सिंह सेन्ट मेरीज एकेडमी, सहारनपुर में शैक्षणिक सत्र 2022—2023 में कक्षा—9 का छात्र है तथा शैक्षणिक सत्र 2023—2024 में वह हाईस्कूल का छात्र है जिसकी सी.बी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा अगले वर्ष होनी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत पूर्व में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थानांतरण स्थगित किए जाते रहे हैं, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी का स्टे प्रार्थनापत्र निरस्त करते हुए जनपद बांदा में स्थानांतरित किया गया है।

यहां यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी की माताजी श्रीमती सूरजमुखी लगभग 84 वर्षीय वृद्ध विधवा है तथा हृदय, अस्थमा आदि विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं जिनका इलाज आगरा में चल रहा है। प्रार्थी अपनी माँ का सबसे छोटा पुत्र है तथा माँ की देखभाल आदि के सम्बन्ध में प्रार्थी को समय—समय पर आगरा जाना पड़ता है।

अतः श्रीमान् जी से सादर विनम्र प्रार्थना है कि यदि सम्भव हो सके तो प्रार्थी के पुत्र की हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुनः जनपद सहारनपुर अथवा जनपद आगरा के आस—पास किसी भी जनपद में प्रार्थी का स्थानांतरण करने की कृपा करें, जिससे प्रार्थी अपने न्यायिक कर्तव्यों के साथ—साथ अपने पुत्र के उज्जल भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के पुत्र की शिक्षा व हाईस्कूल बोर्ड की परीक्षा नियमानुसार सम्पन्न करा सके तथा अपनी माँ की सेवा आदि के दायित्वों का भी सम्यक् निर्वहन कर सके।

प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

ससम्मान्।

भवदीय,

04/05/2023

(अनिल कुमार-XI)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदा।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।
1. प्रार्थी के पुत्र के शैक्षणिक प्रमाणपत्र (2 किता)
2. प्रार्थी की माँ के चिकित्सीय उपचार सम्बन्धी प्रपत्र।

दिनांक—04.05.2023

Office of the District Judge, Banda
No. 1340/I .... Dated 04.05.23
FORWARDED

District Judge
BANDA

Allenhouse
PUBLIC SCHOOL

Date: 01.11.2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Aditya Kumar Singh S/o Mr. Anil Kumar R/o B-12, D.M. Compound, Civil Lines, Kanpur is a bonafide student of this school studying in class X-A in the academic year 2023–24. His date of birth is 08.07.2009.

This certificate is issued at his request.

Regards

DR. RUCHI SETH
PRINCIPAL

ALLENHOUSE PUBLIC SCHOOL
10/441, Khalasi Line Kanpur